



अंचल अधिकारी का न्यायलय सरिया, (गिरिडीह)

E- Revenue Court वाद सं०-...11/2020-21

सोमरानरि राय, पति- मोनिकांत विश्वात्म
सहित - परिवारियासहे, शानत - ललिथा।

बनाम्

जतिन महनी वगैर, पिता- लोचन महनी
मन्दरामो, शानत - ललिथा।

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी
	<p>जमाबंदी रैयत- सोमरानरि राय पति/पति- मोनिकांत विश्वात्म मौजा- मन्दरामो के खाता सं० 305 प्लॉट सं० 2183 रकवा- 1.51.56 तथा जमाबंदी रैयत- जतिन महनी वगैर, पति/पति- लोचन महनी का मौजा मन्दरामो के खाता सं०- 374 प्लॉट सं०- 0 रकवा- 1.42 ए० की जमाबंदी पंजी II के भाग सं० 10 पृष्ठ सं० 31 तकनीकी समस्या के कारण एक ही साथ दर्ज हो गई है।</p> <p>दोनों पक्षों को नोटिस किया गया, नोटिस के आलोक में दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर अपना-अपना जमाबंदी अलग करने का सहमति पत्र दिया।</p> <p>अतः राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर तथा उभय पक्षों की सहमति के आधार पर उक्त जमाबंदी में सुधार करने का आदेश दिया जाता है।</p>	


19/10/2020
अंचल अधिकारी,
सरिया।